भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या 630**
**06 फरवरी, 2024 को उत्तरार्थ**

**विषयः कृषि उत्पादों की कीमतें**
**630. कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देलः**
क्या **कृषि और किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश में कृषि उत्पादों की कीमतों को नियंत्रित करने और कृषि-संबंधित निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कोई विशेष उपाय किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार द्वारा खाद्य भंडारण और प्रसंस्करण के लिए कोई विशेष उपाय किए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**
**कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री**
**(श्री अर्जुन मुंडा)**

(क) और (ख) कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीए एंड एफडब्ल्यू) वर्ष 2000 से विपणन अनुसंधान और सूचना नेटवर्क कृषि विपणन हेतु एकीकृत योजना (आईएसएएम) की उप योजना, को कार्यान्वित कर रहा है। ताकि उद्देश्य देशभर के महत्वपूर्ण कृषि उपज बाजारों और राज्य कृषि विपणन बोर्ड और निदेशालयों को जोड़ना एवं मंडी की कीमतों और आने वाले डेटा का एकत्रण, जाँच और प्रसार किया जा सके। दिनांक 14.04.2016 को प्रारंभ किया गया राष्ट्रीय कृषि बाजार (ईएनएएम), एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है जो कृषि जिन्सों हेतु एकीकृत राष्ट्रीय बाजार बनाने के लिए मौजूदा कृषि उपज बाजार समिति (एपीएमसी) मंडियों का नेटवर्क बनाता है। ई-एनएएम का उद्देश्य खरीदारों और विक्रेताओं के बीच सूचना विषमता को दूर करना और वास्तविक मांग और आपूर्ति के आधार पर रियल टाईम मूल्य निकालने (प्राइस डिस्कवरी) को बढ़ावा देना है। इसके अलावा, विभाग की विपणन आसूचना इकाइयां मूल्य रिपोर्ट भेजने हेतु कृषि बाजारों का नियमित दौरा करती हैं।

सरकार ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्य और जिला स्तर पर कई कदम उठाए हैं। कई राज्यों में राज्य विशिष्ट कार्य योजनाएं तैयार की गई हैं और राज्य स्तरीय निगरानी समितियां (एसएलएमसी), कृषि निर्यात के लिए नोडल एजेंसियां और क्लस्टर स्तरीय समितियां बनाई गई हैं। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए देश और उत्पाद-विशिष्ट कार्य योजनाएँ भी बनाई गई हैं। सरकार, कृषि निर्यात नीति के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जिले को निर्यात हब पहल के रूप में भी उपयोग कर रही है। जिले के तहत, एक्सपोर्ट हब पहल के रूप में, देश भर के सभी 733 जिलों में निर्यात क्षमता वाले कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों सहित उत्पादों की पहचान की गई है। 28 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राज्य निर्यात कार्यनीति तैयार की गई है।

वाणिज्य विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक वैधानिक संगठन, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीईडीए) का कार्य कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा

देना है। एपीईडीए अपनी निर्यात प्रोत्साहन योजना के विभिन्न घटकों के तहत निर्यातकों को सहायता प्रदान कर रहा है। वाणिज्य विभाग निर्यात को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जिसमें मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव्स (एमएआई) योजना और समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीईडीए), जिन्स बोर्ड: टी बोर्ड, कॉफी बोर्ड, मसाला बोर्ड आदि की निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं के माध्यम से कृषि उत्पादों के निर्यात शामिल हैं।

इसके अलावा, किसानों और किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) और सहकारी समितियों को निर्यातकों के साथ संवाद करने हेतु मंच प्रदान करने के लिए एक किसान कनेक्ट पोर्टल विकसित किया गया है। निर्यात-बाज़ार संपर्क प्रदान करने के लिए समूहों में क्रेता-विक्रेता बैठकें (बीएसएम) आयोजित की जाती हैं। निर्यात अवसरों का आकलन करने और उनका लाभ उठाने के लिए, विदेशों में भारतीय मिशनों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नियमित बातचीत की गई है। भारतीय मिशनों के माध्यम से देश-विशिष्ट क्रेता-विक्रेता बैठकें (बीएसएम) भी आयोजित की गई हैं।

(ग) सरकार ने खाद्य भंडारण और प्रसंस्करण के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं। भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) लगातार भंडारण क्षमता का आकलन और निगरानी करता है और भंडारण अंतर मूल्यांकन के आधार पर, निम्नलिखित योजनाओं के माध्यम से भंडारण क्षमताएं बनाई/किराए पर ली जाती हैं: 1) सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड के तहत साइलो का निर्माण 2) निजी उद्यमी गारंटी (पीईजी) योजना 3) केंद्रीय क्षेत्र योजना (सीएसएस), 4) केंद्रीय भंडारण निगम (सीडब्ल्यूसी)/राज्य भंडारण निगम (एसडब्ल्यूसी)/राज्य एजेंसियों से गोदाम किराए पर लेना और 5) निजी भंडारण योजना (पीडब्ल्यूएस) के माध्यम से गोदाम किराए पर लेना। केंद्रीय भंडारण निगम (सीडब्ल्यूसी) में वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग करके लॉजिस्टिक्स और भंडारण प्रणालियों को अद्यतित करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। ऑनलाइन लेनदेन के लिए भंडारण प्रबंधन सिस्टम सॉफ्टवेयर को अखिल भारतीय आधार पर लॉजिस्टिक्स और भंडारण व्यवस्था की निगरानी के लिए लागू किया गया है।

कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ) के तहत वित्तपोषण सुविधा: वेयरहाउसिंग और कोल्ड चेन सहित फसल कटाई के बाद प्रबंधन अवसंरचना हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एनएचबी) एक योजना लागू कर रहा है, जिसका नाम "कोल्ड स्टोरेज के निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण और बागवानी उत्पादों के भंडारण के लिए पूंजी निवेश सब्सिडी" है। इसके अलावा, बागवानी के एकीकृत विकास मिशन (एमआईडीएच) के तहत, 5000 मीट्रिक टन तक कोल्ड स्टोरेज क्षमता के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) संरक्षण और प्रसंस्करण क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से 2017-18 से केंद्रीय क्षेत्र की समग्र योजना-प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) लागू कर रहा है ताकि फसल के बाद के नुकसान को कम किया जा सके, रोजगार सृजन किया जा सके और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का मूल्यवर्धन और निर्यात बढ़ाया जा सके। पीएमकेएसवाई के तहत, इसकी घटक योजनाओं, मेगा फूड पार्क (एमएफपी) योजना, एकीकृत कोल्ड चेन और मूल्य संवर्धन अवसंरचना (कोल्ड चेन), कृषि-प्रसंस्करण क्लस्टरों के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण की योजना (एपीसी), खाद्य प्रसंस्करण और संरक्षण क्षमताओं के निर्माण/विस्तार की योजना (सीईएफपीपीसी), ऑपरेशन ग्रीन्स (ओजी), बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज के निर्माण की योजना (सीबीएफएल) के माध्यम से खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं की स्थापना के लिए पात्र संस्थाओं को अनुदान सहायता के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। दिनांक 02.02.2024 तक, इन योजनाओं के तहत 940 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिससे 256.32 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) प्रति वर्ष प्रसंस्करण क्षमता और 37.60 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) प्रति वर्ष संरक्षण क्षमता का निर्माण हुआ है।

******